जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, (डायट), लखीसराय।

डी0एल0एड0 प्रशिक्षण सत्र 2021–2023 में द्वितीय सूची से चयनित अभ्यर्थियों का नामांकन हेतु आवश्यक निर्देश

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखीसराय, 2021–2023 में नामांकन हेतु द्वितीय सूची वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी गयी है। चयनित अभ्यर्थी दिनांक– 29.10.2021 एवं 30.10.2021 को 10:00 पूर्वाहन् बजे से 03:00 बजे अपराहन् तक निम्न अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ संस्थान में नामांकन हेतु उपस्थित होंगे।

1. नामांकन शूल्क **(सामान्य/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के लिए 11500.00 (ग्यारह हजार पाँच सौ) एवं अनु0 जाति/अनु0 जनजाति/दिव्यांग के लिए 7000.00 (सात हजार)।**
   - ➢ चयनित/नामांकित अभ्यर्थी का नामांकन शुल्क **SBI Collect** के माध्यम से जमा की जाए
2. **अभ्यर्थियों को निम्नांकित मूल दस्तावेंजों को लाना अनिवार्य है–**
   1. अभ्यर्थी का आधार कार्ड।
   2. आवेदक द्वारा किए गए Online आवेदन की मूल प्रति।
   3. मैट्रिक/फौकानिया का मूल प्रमाण पत्र, मूल अंक पत्र एवं मूल प्रवेश पत्र।
   4. इन्टरमीडिएट/मौलवी का मूल प्रमाण पत्र, मूल अंक पत्र एवं मूल प्रवेश पत्र।
   5. विद्यालय/महाविद्यालय मूल परित्याग प्रमाण पत्र। (CLC/SLC)
   6. आवासीय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र (आरक्षण कोटि हेतु)। (अद्यतन)
   7. निःशक्तता प्रमाण पत्र (दिव्यांग कोटि हेतु)।
   8. सामान्य 10 प्रतिशत आरक्षण हेतु मूल प्रमाण पत्र (अद्यतन)।
   9. नवीनतम फोटो (4 पासपोर्ट साइज)।
   10. सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति **(तीन प्रतियों में)**। दो फाइल बाँधने वाला, एक फाइल में तीनों छायाप्रति एवं एक फाइल में सभी शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्र के साथ।
   11. कार्यपालक दण्डाधिकारी (संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी) या Notary के द्वारा सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र सही होने के संबंध में शपथ पत्र। (केवल संस्थान द्वारा उपलब्ध शपथ–पत्र प्रारूप ही मान्य होगा)
3. निर्धारित तिथि तक नामांकन नहीं कराने, अपेक्षित प्रमाण पत्र की अनुपलब्धता या किसी भी प्रमाण पत्र की अवैधता की स्थिति एवं निर्धारित की गयी तिथि को उपस्थित नहीं होने पर नामांकन का दावा स्वतः समाप्त माना जाएगा।
4. नामांकन के पश्चात किसी भी परिस्थिति में नामांकन शुल्क की राशि वापस नहीं की जाएगी।
5. उपर्युक्त सभी शर्तो को पूरा करने पर आपका नामांकन औपबंधिक रूप से किया जाएग।
6. सरकार द्वारा निर्धारित कोविड–19 के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी संस्थान में मास्क एवं सेनेटाइजर के साथ ही प्रवेश करेंगे।

27/10/2021

प्र0 प्राचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
(डायट) लखीसराय।

प्राचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
लखीसराय